Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

सागर जिले की बालिकाओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में लाड़ली लक्ष्मी योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन

सुदर्शन केशरवानी* डॉ. मन्सूर खान**

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** विभागध्यक्ष (वाणिज्य) पीएमसीओई शा. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। शोध में सागर जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है, जो सामाजिक रूप से पारम्परिक और ग्रामीण परिवेश वाला क्षेत्र है। शोध के उद्देश्य के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति, शैक्षणिक स्तर, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव, चुनौतियों की पहचान और सुधारात्मक सुझाव प्रदान करना है। आँकड़ों के विश्लेषण से सिद्ध होता है कि योजना ने बालिकाओं के नामांकन दर में वृद्धि, ड्रॉप–आउट दर में कमी, उच्च शिक्षा के प्रति रूझान और बाल विवाह में कमी जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिए है। सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव देखा गया है। बालिकाएँ आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनी हैं।

शोध की समस्याओं में जागरूकता की कमी, प्रक्रियागत जटिलताएँ और निगरानी व्यवस्था की कमजोरी है। इनके समाधान के लिए जागरूकता अभियान, डिजिटल प्रबन्धन, योजनाओं में समन्वय और कौशल विकास कार्यक्रमों के सुझाव दिए गए है। लाड़ली लक्ष्मी योजना सागर जिले की बालिकाओं के शिक्षण एवं सामाजिक विकास में प्रभावी रही है तथा इसके सुदृढ़ क्रियान्वयन से समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिल सकता है।

प्रस्तावना – भारत में बालिकाओं की स्थिति लम्बे समय से सामाजिक असमानताओं, लिंग आधारित भेदभाव और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन से ग्रस्त रही है। संविधान में समानता, शिक्षा और जीवन के अधिकार प्रदत्त है, परन्तु व्यावहारिक रूप में बालिकाओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा और सामाजिक विकास में अनेक बाधाएँ है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ चलाई गई है, जिनमें मध्यप्रदेश शासन की लाड़ली लक्ष्मी योजना एक क्रांतिकारी पहल के रूप में उभरी है।

लाडली लक्ष्मी योजना – इस योजना का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और वित्तीय सुरक्षा को प्रदान कर बालिकाओं के जीवन में बदलाव लाना है। प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना, समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच बनाना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह को हतोत्साहित करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, बालिकाओं को उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी नींव प्रदान करना, बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना मध्यप्रदेश सरकार की मंशा है।

गरीब परिवार में कन्या जन्म पर उसकी शिक्षा और विवाह के समय व्यय की चिंता मुखिया हो रहती है। लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू होने से कन्या को बोझ न मानकर वरदान मानने लगे है। बालिका की शिक्षा और विवाह के लिए नकद अनुदान (सहायता) का प्रावधान इस योजना में किया गया है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना का परिचय – लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरूआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 2 मई 2007 को की गई थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज की मानसिकता को परिवर्तित करना, बालिकाओं के जन्म दर को प्रोत्साहन देना, उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें आर्थिव रूप से सक्षम करना है। इस योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक राज्य सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

तालिका : लाड़ली लक्ष्मी योजना में राशि हस्तांतरण समय

भुगतान समय	प्राप्त राशि
कक्षा VI	2000
कक्षा IX	4000
कक्षा XI	6000
कक्षा XII	6000

स्त्रोत : ladlilaxmi.mp.gov.in

योजना के अन्तर्गत पात्र बालिका को कुल 1.43 लाख रूपये का चरणबद्ध भुगतान किया जाता है। बालिका के कक्षा छठवी, नवमी, ग्यारहवीं और बारहवीं में प्रवेश पर प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बालिका के 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अंतिम किश्त 1,00,000/– रूपये प्रदान की जायेगी, बशर्ते वह विवाह पूर्व कम से कम 18 वर्ष की हो और उच्च शिक्षा में संलग्न हो। भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जाता है।

योजना की प्रमुख शर्तें :

1. केवल मध्यप्रदेश की निवासी बालिकाएँ पात्र होती है।
2. परिवार में कोई आयकरदाता न हो ।
3. अधिकतम दो संतान प्रति परिवार योजना का लाभ ले सकती है।

4. द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो।

यह योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने, बाल विवाह की प्रवृत्ति रोकने तथा बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी माध्यम रही है।

सागर जिले की पृष्ठभूमि – मध्यप्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड अंचल में स्थित सागर जिला 23.10 उत्तरी अक्षांश से 24.27 उत्तरी अक्षांश तथा 78.4 पूर्वी देशान्तर से 79.21 पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। सागर जिले की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) 23.78 लाख है। कुल जनसंख्या में 1256257 (52.8 प्रतिशत) पुरूष तथा 1122201 (47.2 प्रतिशत) महिला है। जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 1669662 (70.2 प्रतिशत) है तथा नगरीय जनसंख्या 908796 (29.8 प्रतिशत) है।

जिले की साक्षरता दर 76.5 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 84.8 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 67 प्रतिशत है। सागर जिले का कुल क्षेत्रफल 12805 वर्ग कि.मी. है। सागर जिले में 1069 ग्राम पंचायतें, 7 नगर पालिकाएँ, 2 नगर निगम, 7 राजस्व विकासखण्ड ओर 12 विकासखण्ड है। (स्त्रोत : http://censusindia.gov.in)

सागर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की 16 परियोजनाएँ है इनमें राहतगढ़, शाहगढ़, केसली, खुरई, गढ़ाकोटा, जैंसीनगर, देवरी बण्डा, बीना, बीना नवीन, मालथौन, रहली, सागर ग्रामीण, सागर शहरी, सागर ग्रामीण 2, सागर शहरी 2 शामिल है। सागर जिले में कुल 2633 आँगनवाड़ी केन्द्र है।

योजना प्रारम्भ से 31 मार्च 2024 तक सागर जिले में कुल पंजीकृत बालिकाओं की संख्या 164570 है। योजना प्रारम्भ से वर्ष 2023–24 तक कुल छात्रवृत्ति प्रदाय बालिकाओं की संख्या 77752 है, जिन्हें 23.45 करोड़ रूपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए है।

स्त्रोत : जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय, सागर।

शिक्षण विकास पर प्रभाव – लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बालिकाओं के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। सागर जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विद्यालयों के समंक आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि जिन बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिला, उनमें पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ी और विद्यालयों में उपस्थिति दर में वृद्धि हुई।

1. **नामांकन दर में वृद्धि –** पहले जहाँ परिजन बालिकाओं को स्कूल भेजने में हिचकिचाते थे, वहीं इस योजना के लागू होने के पश्चात् योजना अन्तर्गत मिलने वाली राशि के कारण माता–पिता बालिकाओं को विद्यालय भेजते है।

2. **ड्राप आऊट दर में कमी –** आर्थिक सहयोग के कारण बालिकाएँ अपनी स्कूल स्तर की पढ़ाई जारी रखती है। विशेषकर 9वीं से 12वीं कक्षा में जारी प्रोत्साहन राशि बालिकाओं को पढ़ाई स्थिर बनाए रखने में सहायक है।

3. **बाल विवाह में कमी –** लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के विवाह के समय आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। इस प्रकार बालिकाओं के विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई है। यह योजना बाल विवाह की रोकथाम में सहायक सिद्ध हुई है।

4. **उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित –** लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लेने पर 25000 रूपये अतिरिक्त अनुदान मिलता है। अतः बालिकाएँ प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होती है।

सामाजिक विकास पर प्रभाव – लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रभाव केवल शैक्षणिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव बालिकाओं के सामाजिक विकास पर भी है।

1. **दृष्टिकोण में परिवर्तन –** पहले जहाँ बालिकाओं को आर्थिक बोझ माना जाता था, वहीं अब उनके जन्म पर परिवारों में उत्साह देखा जाता है। समाज में यह बदलाव लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् आया है।

2. **स्वास्थ्य व पोषण में सुधार –** योजना के अन्तर्गत पंजीयन के साथ–साथ बालिकाओं के स्वास्थ्य व पोषण एवं टीकाकरण का रिकार्ड भी रखा जाता है, जिससे बालिकाओंके स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है।

3. **आत्मविश्वास में वृद्धि –** आर्थिक एवं शैक्षणिक सुरक्षा मिलने से बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। वे अब विद्यालय, समाज और परिवार में अपनी बात रखने लगी है।

4. **सशक्तीकरण की दिशा में पहल –** बालिकाओं के शिक्षित होने से अब वे आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं सहायता समूहों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आत्मविश्वास से सक्रिय भूमिका निभा रही है।

प्रमुख चुनौतियाँ और बाधाएँ – यद्यपि योजना का स्वरूप प्रभावी है, परन्तु इसके क्रियान्वयन में कुछ चनौतियाँ भी सामने आती है।

1. **प्रकियात्मक जटिलता –** आवेदन की ऑनलाईन प्रक्रिया, दस्तावेजों की अनिवार्यता, बैंक खाता, आधार कार्ड का लिंक होना आदि प्रक्रियाएँ कई बार ग्रामीणजनों के लिए प्रक्रिया जटिल बन जाती है।

2. **जानकारी का अभाव –** ग्रामीण और अशिक्षित परिवारों को योजना सम्बन्धी पूर्ण जानकारी का अभाव होने से पंजीयन या लाभ उठाने से वंचित रह जाते है।

3. **सामाजिक बाधाएँ –** कुछ परिवार अब भी बालिकाओं को शिक्षा के लिए अपात्र मानते है या अपनी जिम्मेदारी मानकर समय से पूर्व विवाह कर देते है, जिससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता।

4. **निगरानी की कमी –** योजना की निरन्तर निगरानी या लाभार्थियों की प्रतिक्रिया की व्यवस्था उसे सशक्त बनाती है, कई बार विद्यालयों में या आँगनवाड़ी स्तर पर या जिला मुख्यालय स्तर पर अपडेट नहीं हो पाने से लाभार्थियों को समय पर अनुदान नहीं मिल पाता।

शोध अध्ययन का उद्देश्य :

1. सागर जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करना।
2. बालिकाओं के शिक्षण स्तर पर इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
3. योजना से सम्बन्धित चुनौतियों और व्यावहारिक बाधाओं की पहचान करना।
4. योजना के माध्यम से बालिकाओं के सामाजिक विकास को जानना।
5. योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध का महत्व :

1. समाज में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन में सहायक हो सकता है।

2. महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई दिशा दिखा सकता है।
3. नीति निर्माताओं को योजनाओं की व्यावहारिक प्रभावशीलता का सूचक बनेगा।
4. शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में योजनाओं के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन करने में उपयोगी होगा।

शोध की परिकल्पना :

1. लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण सागर जिले की बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार हुआ है।
2. लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में सकारात्मक परिवर्तन किया है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। शोध द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। आँकड़े सरकारी रिपोर्ट, जनगणना, विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित आँकड़ों का प्रयोग किया जायेगा। परिकल्पना परीक्षण हेतु संग्रहित आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जायेगा।

तालिका क्रमांक 1: मध्यप्रदेश के जिलो में पिछले 5 वर्षों में जन्में बच्चों के लिंगानुपात में परिवर्तन (2015–16 और 2019–21)

	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 (2015–16)	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2019–2021)
भारत	19	929
मध्यप्रदेश	927	956
सागर	849	939

स्त्रोत : NFHS-4(2015-16) एवं NFHS-5 (2019-21)

तालिका क्रमांक 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे –4 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात (वर्ष 2015–16) में भारत में 919 था जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–5 (वर्ष 2019–2021) के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 929 हो गया है, इसी अवधि में मध्यप्रदेश में यह 927 से बढ़कर 956 तथा सागर जिले में यह 849 से बढ़कर 929 हो गया है। भारत सरकार के सर्वे के अनुसार यह बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ एवं लाड़ली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के फलस्वरूप हुआ। बालिकाएँ अब शिक्षित हो रही है।

तालिका क्रमांक 2 : मध्यप्रदेश में 20–24 वर्ष की महिलाओं की शादी कम उम्र में होती जाती है

	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 (2015–16)	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2019–2021)
मध्यप्रदेश	32.8	23
सागर	38.1	21.4

स्त्रोत – NFHS-4(2015-16) एवं NFHS-5 (2019-21)

तालिका क्रमांक 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश में (20–24) वर्ष की महिलाओं की शादी कम आयु में ही हो जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–4 के अनुसार मध्यप्रदेश में यह 32.8 प्रतिशत था जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–5 में घटकर 23 हो गया। इसी अवधि में सागर जिले में यह 38.1 प्रतिशत से घटकर 21.4 प्रतिशत हो गई, जो कि प्रदेश के स्तर से अधिक था परन्तु अब यह प्रदेश स्तर से कम हो गया है। इसका कारण योजना क्रियान्वयन के पश्चात् अधिक उम्र में विवाह होना है।

तालिका क्रमांक 3: सर्वेक्षण के समय जो महिलाएँ (15–19) वर्ष पहले से ही माँ है या गर्भवती

	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 (2015–16)	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2019–2021)
मध्यप्रदेश	7.5	5.2
सागर	11.1	6.4

स्त्रोत :NFHS-4(2015-16) एवं NFHS-5 (2019-21)

तालिका क्रमांक 3 के अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–4 (2015–16) के समय जो महिलाएँ (15–19) वर्ष आयु में माँ है या गर्भवती थी उनका प्रतिशत मध्यप्रदेश में 7.5 था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–5 (2019–21) के अनुसार घटकर 5.2 प्रतिशत रहा, इसी समय सागर जिले में यह 11.1 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत रहा। इस प्रकार कम आयु में गर्भवती होने की दर में कमी आना बालिकाओं (महिलाओं) के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। यह समाज द्वारा शासकीय योजनाओं में पालन के कारण संभव हुआ है।

तालिका क्रमांक 4 : मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा के स्तर के अनुसार लड़कियों की ड्रॉप आऊट दर औसत

	लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत संवितरण से पहले (2013–15)	लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत वितरण के बाद (2016–17 से 2021–22)
प्राथमिक	7.9	2.6
उच्च प्राथमिक	11.5	7.2
माध्यमिक	23.4	20.9

स्त्रोत : UDISE (Unified District Information System for Education)

तालिका क्रमांक 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013–15 लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा के स्तर के अनुसार लड़कियों की शाला छोड़ने की दर जहाँ 7.9 प्रतिशत थी वह वर्ष 2016–17 से 2021–22 के समय गिरकर 2.6 प्रतिशत रही, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह इसी अवधि में 11.5 प्रतिशत से गिरकर 7.2 प्रतिशत रही। शाला छोड़ने की दर में गिरावट यह बताती है कि बालिकाएँ अब स्कूल में अधिक समय देती है। इसका कारण लाड़ली लक्ष्मी योजना (म.प्र.सरकार) में शामिल शर्ते है जिनमें पालकों को बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश और विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धि तक पहुँचने पर मौद्रिक प्रोत्साहन की शर्त है। सरकार का प्रयास स्कूलों में नामांकन में वृद्धि और शाला त्याग दर में कमी से स्कूल समय में वृद्धि हो रही है।

परिकल्पना परीक्षण :

परिकल्पना 1 – लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण सागर जिले की बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार हुआ है।

उपरोक्त परिकल्पना को लेकर किये गये शोध कार्य के अन्तर्गत तालिका क्रमांक 1, 2 एवं 3 के अध्ययन पश्चात् पाया गया कि सागर जिले में बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार आया है। इसका

कारण शासकीय योजनाओं के कारण बालिकाएँ अब अधिक समय शिक्षा पर दे रही हैं। वे अब विवाह से पहले शिक्षा पर ध्यान देती हैं जिससे उनके लिए जीवन में क्या है वह सीखती है, परिवार के सदस्य भी सरकार के साथ हैं । इस प्रकार सागर जिले में न सिर्फ लिंगानुपात में सुधार आया है बल्कि कम उम्र में शादी की दर में गिरावट और कम आयु में गर्भवती या माँ बनने की दर में भी सकारात्मक गिरावट आई है। अतः यह शून्य परिकल्पना का सत्यापन होता है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण सागर जिले की बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सुधार हुआ है।

परिकल्पना 2 – लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में सकारात्मक परिवर्तन किया है।

उपरोक्त परिकल्पना को लेकर किए गए शोध के अन्तर्गत तालिका क्रमांक 4 के अध्ययन पश्चात् यह पाया कि मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में सकारात्मक परिवर्तन किया है, इसका कारण लाड़ली लक्ष्मी योजना बालिकाओं के जन्म, उनके स्कूल में प्रवेश और विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धि तक पहुँचने पर मौद्रिक प्रोत्साहन की शर्तों का होना है। इस प्रकार बालिकाओं के शाला त्याग दर में कमी आ रही है और अब बालिकाएँ शाला में अधिक समय दे रही हैं।

अतः यह शून्य परिकल्पना का सत्यापन होता है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में सकारात्मक परिवर्तन किया है। स्वावलम्बी बालिका सशक्त समाज का आधार है।

निष्कर्ष – लाड़ली लक्ष्मी योजना सागर जिले में बालिकाओं के शिक्षण और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई है। इस योजना के माध्यम से जहाँ बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है, वहीं उनके आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान और परिवारों की मानसिकता में भी सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। हालाँकि अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, परन्तु यदि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी, सरल और समन्वित तरीके से किया जाए तो यह न केवल बालिकाओं के जीवन को परिवर्तित कर सकती है, बल्कि समाज में व्यापक स्तर पर लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बन सकती है। स्वावलम्बी बालिका – सशक्त समाज का आधार

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश www.mpwcd.nic.in
2. सागर जिला प्रशासनिक आँकड़े
3. प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022–23, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश
4. सक्सेना रानू, सक्सेना पल्लवी, लाड़ली लक्ष्मी योजना का बालिकाओं के विकास में योगदान, जिला शिवपुरी (म.प्र.) के विशेष संदर्भ में। (2016)RemarkingAn Analisation Vol. 1 issue VI september 2016 P:ISSN No : 2394-0344 RNI No. UPBIL/2016/67980 (page no. 93-98) EISSN No. 2455-0817
5. सेनगुप्ता गीताली, रजा सीमा – सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ एवं महिला सशक्तिकरण (लाड़ली लक्ष्मी योजना के विशेष संदर्भ में) P:ISSN No. 2321-290X, E:ISSN No. 2349-980X Shrinkhala: Vol-II, Issue-II October, 2014 page 93-96.
6. वंशकार रामसेवक और खटीक डॉ. एस. के., मध्यप्रदेश में संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन, International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS) ISSN : 2581-9925, Impact Factor : 7.150 Volume 06, No. 03 (II) July-September, 2024, PP 107-112
7. ladliaxmi.mp.gov. in
8. Suri, Shoba, Kurian, Oommenc, Chakraborty Sikkim (2023), The Girl child at the centre of Policymaking Weighting the successes of the Ladli Laxmi Yojana of Madhya Pradesh, http:/www.nesearchgate.net/publication/378269027 December, 2023, pp 121-138

****